न्याया० श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

निगरानी-2658/2018/सागर/भू.रा.

(1) इस्लाम खान वल्द समसुद्दीन

(2) सलीम खां वल्द समसुद्दीन

(3) अलीमन बी वल्द समसुद्दीन

(4) सबीरा उर्फ इन्द्राणी पिता समसुद्दीन

(5) मल्लो बी पिता समसुद्दीन

(6) शकीला बी पिता समसुद्दीन

(7) तबसुम बी पिता रिहाज खां

(8) रूकसाना पत्नि अमन नूर खां

(9) गफ्फार खां पिता अमन नूर खां

(10) बिल्लो बी पिता अमन नूर खां

(11) फरीदा पिता अमन नूर खां

(12) बानो बी पिता अमन नूर खां

(13) बबलू खां पिता अमन नूर खां

(14) अमीन खां पिता हैदर खां

निवासी- ग्राम गुदावल तह० कुरवाई जिला विदिशा

--- आवेदकगण

।। विरूद्ध ।।

साजिद खां पिता मुसाफ खान उर्फ कल्लन खान

निवासी- कंजिया तह० बीना जिला सागर म०प्र०

--- अनावेदक

आवेदनपत्र अन्तर्गत निगरानी धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

(1):- यह कि आवेदक गण मान० न्याया० के समक्ष स्थगन आवेदन के विरूद्ध अपील प्र०क्र० 1089-अ/6 वर्ष 17-18 स्थगन आदेश श्रीमान अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के आदेश पत्रिका दि० 3-4-18 के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

-2-

राजेश्वर सोनी अभि. द्वारा आज दि. 2-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2658/2018/सागर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केवियटकर्ता अधिवक्ता न्यायालय में प्रतिदिन उपस्थित हो रहे है, परंतु इस प्रकरण में उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। उनके द्वारा केवियटकर्ता की उपस्थिति होने तक के लिए अनुविभागीय अधिकारी बीना के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया है एवं प्रकरण में क्रय-विक्रय पर रोक लगाई है। आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	